

17.01.2025:-पत्रावली आज पेशी मे ली गई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता का मूल वादपत्र डिक्री हो गया। इसलिए मूल वाद पत्र डिक्री होने के कारण प्रार्थना-पत्र 212 आर.टी.ए मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। मूल वादपत्र डिक्री होने के कारण प्रार्थी का उक्त प्रार्थना-पत्र मे जारी स्थगन आदेश दिनांक 22.06.2023 को वर्तमान स्तर पर निरस्त किया जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

01/01/25  
सिद्धिपथ क्लर्क  
एवं उपाध्यक्ष अधिकारी  
हनुमानपुर

